

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त 2013—भाद्र 2, शक 1935

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. एफ-2-7-13-1-उनसठ.—मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 51 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (झ) और (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिकारी तथा अन्य सेवक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(एक) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्न अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रजिस्ट्रार	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड वेतन
2.	सहायक रजिस्ट्रार	1	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड वेतन
3.	अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800+3200 ग्रेड वेतन
4.	सहायक वर्ग-1	1	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2800 ग्रेड वेतन
5.	शीघ्रलेखक	1	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2800 ग्रेड वेतन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	लेखापाल	1	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2400 ग्रेड वेतन
7.	सहायक वर्ग-2	2	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2400 ग्रेड वेतन
8.	स्टेनो टायपिस्ट	1	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900 ग्रेड वेतन रु. 125/- विशेष वेतन प्रतिमाह.
9.	सहायक वर्ग-3	2	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900 ग्रेड वेतन
10.	वाहन चालक	1	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900 ग्रेड वेतन
11.	दफ्तरी	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1400 ग्रेड वेतन
12.	भृत्य	4	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300 ग्रेड वेतन
13.	चौकीदार	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300 ग्रेड वेतन

(दो) अनुसूची-दो में, शीर्ष तृतीय श्रेणी, कॉलम (2), (3), (4) तथा (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाती हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भरती (4)	पदोन्नति (5)	स्थानांतर (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	तृतीय श्रेणी				
1.	अधीक्षक	1	-	100%	
2.	सहायक वर्ग-1	1	-	100%	
3.	शीघ्रलेखक	1	-	100%	
4.	लेखापाल	1	-	100%	
5.	सहायक वर्ग-2	2	-	100%	
6.	स्टेनो टायपिस्ट	1	100%	-	
7.	सहायक वर्ग-3	2	100%	-	
8.	वाहन चालक	1	100%	-	

(तीन) अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची—चार
(नियम 14 देखिये)

अनु. क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	वांछित अनुभव	पदोन्नति समिति का संविधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अधीक्षक	सहायक रजिस्ट्रार	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक, आयुष—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक/उप संचालक होम्योपैथी —सदस्य 3. रजिस्ट्रार—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	सहायक वर्ग-1	अधीक्षक	5 वर्ष	—तदैव—
3.	सहायक वर्ग-2 / लेखापाल	सहायक वर्ग-1	5 वर्ष	—तदैव—
4.	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	—तदैव—
5.	सहायक वर्ग-3	सहायक वर्ग-2/लेखापाल	5 वर्ष	—तदैव—

No. F. 2-7-13-1-LIX.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (i) and (j) of sub-section (2) of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Officer and other servant (Recruitment and conditions of service) Rules, 1996, namely :—

AMMENDMENTS

In the said rules,—

- (i) For Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Classification, Scale of Pay and Number of Posts included in the Service

S.No.	Name of the post included in the service	No. of Post	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Registrar	1	Class-I	15600-39100+5400 G.P.
2	Assistant Registrar	1	Class-II	9300-34800+4200 G.P.
3	Superintendent	1	Class-III	9300-34800+3200 G.P.
4	Assistant Grade -1	1	Class-III	5200-20200+2800 G.P.
5	Stenographer	1	Class-III	5200-20200+2800 G.P.
6	Accountant	1	Class-III	5200-20200+2400 G.P.
7	Assistant Grade – 2	2	Class-III	5200-20200+2400 G.P.
8	Steno – Typist	1	Class-III	5200-20200+1900 G.P. + Rs. 125/- special Pay per month.
9	Assistant Grade – 3	2	Class-III	5200-20200+1900 G.P.
10	Driver	1	Class-III	5200-20200+1900 G.P.
11	Daftari	1	Class-IV	4440-7440+1400 G.P.
12	Peon	4	Class-IV	4440-7440+1300 G.P.
13	Chowkidar	1	Class-IV	4440-7440+1300 G.P.

- (ii) In Schedule-II, for heading "class-III" in column (2), (3), (4) and (5) and entries relating thereto, the following Heading and entries relating thereto shall be substituted namely :—

"CLASS-III

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent	1	---	100%	
2	Assistant Grade-I	1	---	100%	
3	Stenographer	1	---	100%	
4	Accountant	1	---	100%	
5	Assistant Grade-II	2	---	100%	
6	Steno-typist	1	100%	---	
7	Assistant Grade-III	2	100%	---	
8	Driver	1	100%	---	

- (iii) for Schedule-IV, the following schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-IV

(See, Rule 14)

S. No.	Name of the post form which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Desired experience	Constitution of Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Superintendent	Assistant Registrar	5 Years	1. Joint Director Ayush— Chairman 2. Joint Director / Dy. Director Homoeopathy— Member 3. Registrar— Member
2	Assistant Grade – 1	Superintendent	5 Years	-Do-
3	Assistant Grade-2 / Accountant .	Assistant Grade-1	5 Years	-Do-
4	Steno-Typist	Stenographer	5 Years	-Do-
5	Assistant Grade-3	Assistant Grade-2 / Accountant	5 Years	-Do-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.